



2026:AHC:17626

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1065 वर्ष 2026

आवेदक :-मीरा देवी

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अमित कुमार त्रिपाठी, अशोक कुमार मिश्रा

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार मिश्रा एवं विद्वान राज्य विधि अधिकारी सुश्री इफराह इस्लाम को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - देवरिया कलां, जनपद - पीलीभीत के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 201 वर्ष 2025, धारा 333, 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में जमानत की प्रार्थना कर रही है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। एफ.आई.आर. में जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। मृतक को केवल एक गोली लगी थी, जिससे यह स्पष्ट रूप से गलत फंसाने का मामला प्रतीत होता है। राइफल की बरामदगी सह-अभियुक्त मुरारी लाल की निशानदेही पर की गई है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 27.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण में सहयोग करेगी।
7. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों और इस तथ्य का खंडन करने में असमर्थ रहे हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं तथा आवेदक के विरुद्ध कोई पुख्ता साक्ष्य सामने नहीं आया है, साथ ही यह तथ्य कि राइफल सह-अभियुक्त मुरारी लाल से बरामद हुई थी, प्रथम दृष्टया में इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **मीरा देवी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगी/उन्हें डराएगी नहीं।

(iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने के संबंध में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)